UPRN010034342017

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, कानपुर देहात।

उपस्थित–रजत सिन्हा–(I.D.– UP6042), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)**

सत्र परीक्षण संख्या–140/2017

उत्तर प्रदेश राज्य..**अभियोजन पक्ष**

प्रति

1– सतीश कुमार उम्र 26 वर्ष पुत्र जसवन्त

2– जसवन्त उम्र 50 वर्ष पुत्र बाबूलाल

3– श्रीमती सीता देवी उम्र 48 वर्ष पत्नी जसवन्त निवासीगण ग्राम बाढ़ापुर थाना अकबरपुर जिला कानपुर देहात।

––अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्याः–1572/2015
धाराः–498–ए,304–बी भा0 दं0 सं0 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4
थानाः–घाटमपुर जिला–कानपुर नगर।

निर्णय

1– विवेचक द्वारा अभियुक्तगण सतीश कुमार, जसवन्त व श्रीमती सीता देवी के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध संख्या–1572/2015 धाराः–498–ए,304–बी भा0 दं0 सं0 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 थानाः–घाटमपुर जिला–कानपुर नगर में प्रेषित किया गया। अपराध अन्तर्गत धारा–304–बी भा0 दं0 सं0 सत्र परीक्षणीय होने के कारण विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 28.4.2017 द्वारा अभियुक्तगण का उपरोक्त वाद सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जो श्रीमान् सत्र न्यायाधीश कानपुर देहात के आदेशानुसार इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 22.2.2014 को वादिनी मुकदमा रामश्री की पुत्री रेनू देवी का विवाह सतीश कुमार पुत्र जसवन्त नि0 ग्राम बाढ़ापुर थाना अकबरपुर कानपुर देहात के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार साढ़े सात लाख खर्च किया था परन्तु ससुरालीजन के द्वारा एक लाख रूपये अतिरिक्त दहेज मांगकर दबाव बनाने लगे तो वादिनी की पुत्री ने कहा कि मेरे पिता का निधन हो गया और मेरे भाई ने अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च किया है तो पति सतीश कुमार, देवर विवेक, उपेन्द्र, कमल किशोर व नन्द जयन्ती ने मेरी पुत्री को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और दिनांक 21.4.2015 को मिटटी का तेल डालकर मारने का प्रयास किया जिसकी सूचना तहसील दिवस पर थाने में दी थी जिसकी जांच प्रभारी ऐच्छिक ब्यूरो माती कानपुर देहात द्वारा की जाने लगी जिसपर वादिनी की पुत्री के ससुरालीजनों द्वारा समझौता होकर अपने घर ले गए और उपरोक्त विपक्षीगणों द्वारा योजना बनाकर वादिनी की पुत्री को सतीश कुमार के साथ ग्राम जगन्नाथपुर थाना घाटमपुर में कमरे में रहने के लिए जबरन भेज दिया, जहां उपरोक्त विपक्षीगणों ने साजिश रचकर दिनांक 23/24.9.2015 को मारपीट कर मार डाला और कपड़े टांगने की लकड़ी की खूंटी में दुपटटे के सहारे व दीवार का सहारा देकर फांसी लगाने का रूप देकर रचा दिया तथा वादिनी को कोई सूचना नहीं दी तथा जब थाना घाटमपुर की पुलिस के आ जाने पर गांव के अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दी गयी थी तब वादिनी को विश्वास नही हुआ तो सतीश कुमार के मोबाइल में सम्पर्क किया तो मोबाइल स्विच आफ मिला। जब रेनू की ससुराल पहुंचे तो ताला बंद था। सभी लोग गायब थे। तब वादिनी के पुत्र श्यामू कुमार, दामाद पंकज व भाई कृपाराम व बेटा रामूसिंह ग्राम जगन्नाथपुर आए तो देखा कि रेनू के शरीर में चोटों के निशान थे, इससे प्रतीत हो रहा था कि मारने के बाद फांसी में लटकाने का रूप दिया गया है, बल्कि उपरोक्त सभी लोगों ने साजिश करके हत्या कर दी। वादिनी के पुत्र श्यामू कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया तो थाना पुलिस ने विपक्षीगणों से डेढ़ लाख रूपये ले लेने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि समझौता कराने का दबाव बनाने लगे। वादिनी के पुत्र श्यामू कुमार ने 26.9.2015 को पुलिस के उच्च अधिकारियों को दस्ती प्रार्थना पत्र दिया तथा दिनांक 5.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस महानिरीक्षक महोदय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय

घाटमपुर व थाना घाटमपुर को भेजा परन्तु उसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः उक्त परिस्थितियों में वादिनी की रिपोर्ट लिखकर विवेचना किए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

3– वादिनी रामश्री के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0 प्र0 सं0 थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.11.2015 के अनुक्रम में थाना–घाटमपुर जिला कानपुर देहात पर मुकदमा अपराध सं0– 1572/2015 धारा–498–ए,304–बी भा0 दं0 सं0 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 की चिक अंकित की गयी तथा जी0 डी0 कायमी मुकदमा में मुकदमा कायमी का उल्लेख किया गया और पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की गयी। विवेचक ने दौरान विवेचना गवाहों के बयान लिये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा विवेचना पूरी कर अभियुक्तगण सतीश कुमार, जसवन्त व श्रीमती सीता देवी के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 498–ए, 304–बी भा0 दं0 सं0 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4– विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.7.2016 को प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को धारा–207 दं0 प्र0 सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकले प्रदान की तत्पश्चात् विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाये जाने के कारण सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया। पूर्व न्यायालय द्वारा दिनांक 27.1.2018 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–498–ए, 304–बी भा0 दं0 सं0 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए पी0 डब्लू0–1 रामू सिंह, पी0 डब्लू0–2 रामश्री, पी0 डब्लू0–3 बाबूराम, पी0 डब्लू0–4 शशीभूषण, पी0 डब्लू0–5 श्यामू कुमार, पी0 डब्लू0–6 रामशंकर, पी0 डब्लू0–7 डाक्टर सुनील कुमार, पी0 डब्लू0–8 जितेन्द्र कुमार अपर पुलिस अधीक्षक/स्टाफ आफिसर ए0 डी0 जी0 बरेली जोन बरेली, पी0 डब्लू0–9 उ0 नि0

नाजिश सिद्दकी मण्डल अधिकारी कार्यालय जनपद बांदा, पी0 डब्लू0–10 सेवानिवृत्त कृष्ण कुमार डिप्टी एस0पी0 परीक्षित कराये गये।

6– अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न प्रपत्रों को साबित कराया गया है–

7– अभियोजन प्रपत्र **प्रदर्श**

1-	दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0	तहरीर प्रदर्श क–1
2-	विवाह का कार्ड	प्रदर्श क–2
3-	पंचायतनामा	प्रदर्श क–3
4-	पोस्टमार्टम	प्रदर्श क–4
5-	चिक प्रथम सूचना रिपार्ट	प्रदर्श क–5
6-	नकल रपट रो0 आम थाना घाटमपुर दिनांकित 2.12.2015	प्रदर्श क–6
7-	आरोप पत्र	प्रदर्श क–7
8-	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–8

8– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय में लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा गवाहों के बयान को भी गलत बताते हुए गलत विवेचना किया जाना कहा तथा गवाहों के बयानों को रंजिशन दिया जाना कहा तथा अपने को निर्दोष कहा तथा सफाई देने का कथन किया व सफाई में डी0 डब्लू01 पुष्पा देवी को परीक्षित कराया।

9– मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

10– **पी0 डब्लू0–1 रामू सिंह** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी बहन की रेनू की शादी बयान देने से लगभग चार–साढ़े चार साल पहले दिनांक 22.2.2014 को सतीश के साथ हिन्दू–रीति–रिवाज के साथ हुई थी। शादी में मैंने अपनी बहन को अपनी हैसियत के अनुसार डबलबेड, कूलर, फ्रीज, वाशिंग मशीन, पंखा, रजाई, गद्रदा, सिलाई मशीन, सोफा तथा एक हीरो हाण्डा मोटर साइकिल, टी0 वी0, दो बक्शे, दो सोने की अंगूठी और गृहस्थी का सामान आदि दिया था पर रेनू के ससुराल वाले उसके पति सतीश, सास सीता देवी, ससुर जसवन्त सिंह, जेठ अजीत और कमल किशोर (देवर), उपेन्द्र (देवर), विवेक (देवर), नन्द जयन्ती दिए गए दान–दहेज से संतुष्ट नहीं थे और ससुरालीजन उपरोक्त मेरी बहन रेनू से अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रूपये की मांग करते थे और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और दिनांक 21.4.2015 को इन लोगों ने मेरी बहन रेनू को मिटटी का तेल डालकर मारने का प्रयास किया। इसकी शिकायत हम लोगों ने तहसील दिवस में दिया था। इसपर ससुराल वाले समझौते के लिए दबाव बनाने लगे तो हमने और हमारे घर वालों ने सोचा कि मेरी बहन रेनू को ससुराल में रहना है और हम लोगों ने समझौता करके अपनी बहन रेनू के पति सतीश के साथ विदा कर दिया था और समझौता स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप से हुआ था। इसके बाद सतीश मेरी बहन को अपने गांव बाड़ापुर विदा कराकर ले गए कुछ दिनों बाद सतीश किराये का मकान लेकर जगन्नाथपुर में रहने लगा था। किराये के कमरे में मेरी बहन रेनू और सतीश रहते थे और मेरी बहन रेनू के ससुरालीजन वहां पर आते–जाते रहते थे। घटना दिनांक 23/24.9.2015 की रात की है। मुझे वहीं के कुछ लोगों द्वारा सूचना दी गयी कि आपकी बहन की मृत्यु हो गयी है। आप आओ और आकर देखो। इस सूचना पर मैं, अपनी मां व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी बहन रेनू के ससुराल बाढ़ापुर पहुंचा तो वहां पर ससुराल का कोई सदस्य नहीं मिला और घर पर ताला लगा था। इसके बाद हम लोग जगन्नाथपुर गए और देखा कि मेरी बहन रेनू फांसी पर लटकी हुई थी और मौके पर पुलिस वाले मौजूद थे। मैंने अपनी बहन रेनू के ससुराल वालों के खिलाफ लिखकर और अपनी मां से अंगूठा निशान लगाकर वहीं मौके पर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था। मेरे सामने मेरी बहन का पंचायतनामा की कार्यवाही नहीं हुई थी। जो मैंने प्रार्थना पत्र मौके पर दिया था, उसके आधार पर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी, फिर मेरी मां ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र

देकर मुकदमा लिखवाया था, उसके बाद थाने में रिपोर्ट लिखी गयी थी और उसके बाद पुलिस द्वारा मुल्जिमानों के खिलाफ आगे की कार्यवाही की गयी थी। इसके बाद दरोगा जी ने मेरा बयान घर पर लिया था।

11– जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि शादी का हुए पांच साल हुआ। दहेज का जो सामान हम लोगों ने दिया था, उसकी मांग ससुरालीजनों की तरफ से हुई। हम लोगों ने कूलर, फ्रिज, डबल बेड, सिलाई मशीन, गद्दा–रजाई, मोटर साइकिल हीरो हाण्डा,दो अंगूठी, सोने की चैन व गृहस्थी का अन्य सामान बर्तन आदि दिए थे। सतीश शादी के समय पालीटेक्निक कर रहा था। जो सामान मांगा गया था, वो सभी सामान हम लोगों ने दे दिया था। कुछ भी शेष नहीं था। शादी के बाद विदा होने के बाद मेरी बहन ससुराल में चार दिन रही थी। चौथी में विदा कराने में और मेरा भाई गए थे। एक सप्ताह के बाद मेरी बहन पुनः विदा होकर ससुराल गयी थी। विदाई कराई, सतीश का पूरा परिवार आया था। मेरी बहन मरने के पूर्व तीन–चार बार आई–गई थी।

12– ससुरालीजन ने मेरी बहन से एक लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। इस संबंध में मेरी बहन को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे। इस बात का प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिया था। किस अधिकारी को दिया था, मुझे नहीं पता। उक्त प्रार्थना पत्र मैंने दिनांक 21.4.2015 को दिया था। यह प्रार्थना पत्र मैंने दरोगाजी को दिया था। जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। किस तारीख से मेरी बहन से एक लाख रूपये मांगा गया था, मैं नहीं बता सकता चौथी के डेढ़ महीने के बाद अपनी बहन के ससुराल गया था। समझौता में सतीश के मामा व उसके परिवारीजन थे और मेरी तरफ से हम लोगों के अलावा और कोई नहीं था। समझौता तहसील में लिखा गया। समझौता वकील साहब ने लिखा था। समझौता दिनांक 20.5.2015 को हुआ था। जब दरोगाजी मेरा बयान लेने आए थे तो मैंने उनको उक्त समझौतानामा दिया था। जिस दिन समझौता हुआ था, उसी दिन मेरी बहन ससुराल चली गयी थी। समझौते के बाद मेरी बहन बाढ़ापुर में रहने लगी थी। मैं बहन के मरने के पूर्व कभी भी जगन्नाथपुर नहीं गया था। जब मेरी बहन की हत्या हुई तो सतीश बाढ़ापुर मे ही रहते थे। बहन के मरने की सूचना दिनांक 24.9.2015 को सुबह 6 बजे मिली थी। सूचना अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल से दी थी उसका क्या मोबाइल नं0 है मुझे नहीं मालूम। मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। मरने की सूचना पर मैं तथा बच्चे लोग पहले

बाढ़ापुर गए थे मेरे साथ मेरी मां व भाई थे। जब मैं पहुंचा था तो लाश की लिखा पढ़ी नहीं हो रही थी, पुलिस मौजूद थी। घटना दिनांक 23/24.9.2015 की बात है। मुझे वहीं के लोगों द्वारा सूचना दी गयी कि आपकी बहन की मृत्यु हो गयी है। आप आओ और देखो। जब मैं जगन्नाथपुर गया तो वहां पर बहन की ससुराल का कोई व्यक्ति नहीं मिला। जब मैं पहुंचा तो घर के कमरे का दरवाजा खुला था। मेरी बहन की लाश पड़ी थी, पुलिस वाले कुछ कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम। बहन की लाश सील होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए गयी मैंने अपनी मां का अंगूठा लगाकर एक प्रार्थना पत्र दरोगा जी को दिया था मैं भी पोस्टमार्टम हाउस गया था। लाश का दाह–संस्कार हम लोगों ने किया था। यह मुकदमा मेरी माता जी ने लिखाया था। यह कहना गलत है कि मेरी बहन के जेवरात मेरी मां रामश्री ने ले लिए हों। मेरी बहन के पूरे शरीर पर चोटें थीं। जब पुलिस वाले देख रहे थे तब मैंने भी देखा था।

13– **पी0 डब्लू02– रामश्री** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि मेरी लड़की रेनू देवी की शादी 22.2.2014 को सतीश के साथ हिन्दू–रीति रिवाज से हुई थी। शादी में मैंने व मेरे लड़को ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार डबल बेड, कूलर, वाशिंग मशीन, फ्रिज आदि गृहस्थी का सामान दिया था और शादी में करीब 7 लाख रूपये खर्च किया था। शादी के बाद मेरी लड़की विदा होकर अपनी ससुराल गयी थी और चौथी लेने के लिए मेरे लड़के रामू, श्यामू आदि गए थे। मेरी लड़की रेनू जब ससुराल से विदा होकर आई तो उसने बताया कि पति सतीश, ससुर जसवन्त, सास सीता देवी, जेठ अजीत देवर विवेक, उपेन्द्र, कमल किशोर व नन्द जयन्ती दहेज में अतिरिक्त एक लाख रूपये की मांग करते हैं और शादी में किए गए खर्च व दान–दहेज से संतुष्ट नहीं है। रेनू ने मुझे यह भी बताया कि ससुरालीजनों को बताया था कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गयी है इसके बाद भी ससुरालीजन मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते हैं और दहेज में एक लाख रूपये की मांग करते हैं। कुछ दिनों बाद मेरी लड़की रेनू को विदा कराने के लिए पति सतीश, ससुर जसवन्त, जेठ अजीत व उपेन्द्र आदि लोग आए थे। मेरी लड़की रेनू जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन मैंने व मेरे लड़को ने समझाकर रेनू को ससुराल वालों के साथ विदा कर दिया था। दिनांक 21.4.2015 को मिटटी का तेल डालकर मेरी लड़की को जलाने की कोशिश की तो मेरी लड़की चुपचाप ससुराल से मायके आ गयी थी और लड़की ने ससुराल जाने से मना कर दिया

था। बाद में लड़की के ससुराल से पति सतीश, विवेक, उपेन्द्र, अजीत कुमार, सीता देवी, जयन्ती व जसवन्त विदा कराने आए थे और मैंने व मेरे लड़कों ने रेनू को विदा ऐच्छिक ब्यूरो माती कानपुर देहात में समझौता होने के बाद विदा किया था। ऐच्छिक ब्यूरो ने उपरोक्त सभी लोगों ने सशपथ पत्र दिया था बाद में रेनू की ससुराल वालों ने रेनू को ग्राम जगन्नाथपुर थाना घाटमपुर में भेज दिया। जहां पर सतीश किराये का कमरा लेकर रहता था। दिनांक 23/24.9.2015 की रात को उरोक्त सभी ससुरालीजनों ने योजना बनाकर मेरी लड़की रेनू को मारा पीटा और कपड़े टांगने की लकड़ी की खूंटी में दुपटटे के सहारे मारकर टांग दिया। गांव के किसी व्यक्ति ने फोन कर यह सूचना दी थी। इस सूचना पर मैंने सतीश को फोन किया तो सतीश का फोन बंद था तब मैं अपने लड़के रामू, श्यामू, बड़े दामाद पंकज, भाई कृपाराम के साथ लेकर जगन्नाथपुर गयी थी तो देखा कि कमरे में मेरी लड़की लटकी हुई है और उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, उपरोक्त ससुरालीजन वहां पर मौजूद नहीं थे। पुलिस आ गयी थी। मैंने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो मैंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था और उसके आधार पर न्यायालय द्वारा उपरोक्त ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा लिखाने का आदेश दिया गया था। आदेश के बाद पुलिस ने कार्यवाही की थी और मेरा बयान लिया था। शामिल मिसिल धारा 156(3) दं0 प्र0 सं0 का प्रार्थना पत्र देखकर गवाह ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जो मैंने अपना निशान अंगूठा लगाकर न्यायालय में दिया था। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। शामिल मिसिल रेनू की शादी के कार्ड पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

14– जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि शादी हंसी–खुशी से सम्पन्न हुई थी। मेरी लड़की शादी में विदा होकर जब गयी थी तो चौथे दिन चौथी में विदा होकर आ गयी थी। मेरी लड़की तीन–चार बार ही ससुराल गयी है। जब मेरी लड़की ससुराल जाती थी तो मेरे लड़के उसे विदा कराने जाते थे, जब यह लोग विदा कराने आते तो हम लोग राजीखुशी से विदाकर देते थे। चौथी में जब विदा होकर जब रेनू आई थी उसके एक महीने बाद विदा होकर ससुराल गयी थी। मेरी लड़की को उसकी सास खाने को नहीं देती थी। इस संबंध में मैंने रिश्तेदारों और सतीश के मां बाप से शिकायत की थी। मेरी लड़की मुझे बताती थी कि चार पहिया की गाड़ी मांगते है। यह बात लड़की ने मुझे एक साल के अंदर बताई थी और कुछ नहीं बताया था। जब मेरी लड़की सबसे आखिरी

बार विदा होकर ससुराल गयी थी तो उसे विदा कराने सतीश आया था और कोई नहीं आया। जब मेरी लड़की मरी थी तब किसी पुलिस वाले ने घटना के संबंध में मुझसे पूछतांछ नहीं की थी। लड़की को मिटटी का तेल डालकर जलाने की कोशिश के संबंध में तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें राजीनामा हो गया था। वह राजीनामा की नकल मैंने दरोगाजी को नहीं दी थी। राजीनामा के एक महीने बाद मेरी लड़की ससुराल गयी थी और ससुराल में करीब एक महीने रही थी। लड़की के मरने की सूचना मुझे अन्य लोगों ने दी थी। किसने दिया था, मुझे उसका नाम नहीं मालूम। मेरी लड़की 15 तारीख को खत्म हुई थी। सन 2002 था। महीना कौन था, मैं नहीं बता सकती। सूचना 16 तारीख को 10 बजे सुबह मिली थी। जब मुझे सूचना मिली थी, तब मैं घाटमपुर गयी थी, जब मैं घाटमपुर बलहारा गयी थी तब मेरे साथ मेरे दोनों लड़के व मेरे भाई कृपाराम गए थे। जब लोग पहुंचे थे तब पुलिस वहां मौजूद थी। सतीश वगैरह नहीं थे। जब मैं घटनास्थल पर गयी थी तब वहां किसी से बातचीत नहीं की थी। सभी ससुरालीजनों ने योजना बनाकर मेरी लड़की रेनू को मारा पीटा और कपड़े टांगने वाली खूंटी पर दुपटटे के सहारे टांग दिया। मैंने दरोगाजी को बताया था कि मेरी लड़की के शरीर में चोटों के निशान थे। यदि दरोगाजी ने मेरा बयान में यह न लिखा हो तो मैं इसका कारण नही बता सकती। मेरी घटनास्थल पर सतीश व उसके घर वालों से कोई बात नहीं हुई। लड़की के मरने के एक महीने बाद पुलिस ने हमसे पूंछतांछ की थी। मेरे अलावा मेरे सभी लड़कों से पूंछतांछ की थी। यह कहना गलत है कि लड़की के चढ़ावे के सारे जेवरात मैंने रख लिए हों।

15– **पी0 डब्लू03 बाबूराम** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 24.9.2015 को अपने घर पर जगन्नाथपुर में था। उस दिन मुझे सतीश की पत्नी श्रीमती रेनू देवी के मरने की सूचना पर मैं सतीश के घर गया था, उस समय सुबह का वक्त था। रेनू कमरे के अंदर दीवाल की खूंटी में बंधी रस्सी के सहारे लटक रही थी। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मौके पर पुलिस व मजिस्ट्रेट आए थे। मेरे सामने रेनू की लाश के साथ सफेद कपड़े में लपेट के पोस्टमार्टम हेतु पुलिस द्वारा भेजा गया था। उदन प्रसाद ने हम लोगों की राय पचायतनामें पर अंकित की थी और मैंने व सभी पंचों ने पंचायतनामा पर हस्ताक्षर बनाए थे। पंचायतनामा शामिल पत्रावली पेपर सं0 77 है। पंचायतनामा को देखकर गवाह ने कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

16– जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं मजदूरी करता हूं। मैं सतीश को नहीं जानता हूं। सतीश कहां का रहने वाला है, मुझे नहीं मालूम। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। पंचायतनामा में मैंने दस्तखत किए थे, मुझे पढ़कर नही सुनाया गया था। ।

17– **पी0 डब्लू04 शशिभूषण तहसीलदार ने** अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.9.2015 को मैं नायब तहसीलदार घाटमपुर के पद पर नियुक्त था। मुझे थाना एवं अधिकारियों की सूचना पर ग्राम जगन्नाथपुर थाना घाटमपुर में शव के पंचायतनामा हेतु पंचायतनामा सम्पन्न कराने के लिए भेजा गया था। मौके पर पहुंचकर मृतका रेनू देवी उम्र लगभग 25 वर्ष के शव के पोस्टमाटम की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु वहां पर मौजूद चौकी इंचार्ज पतारा मय हमराह पुलिसकर्मी के साथ फील्ड यूनिट मौजूद मिले तथा जांच हेतु फील्ड यूनिट कानपुर की टीम भी मौजूद थी। मौके पर पहुंचकर शव को मकान के अंदर से शव को कुन्डे से उतरवाकर लोगों की उपस्थिति में पंचायत की राय लेकर पंचान नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ की। शरीर मे आई चोटों का निरीक्षण अपनी देखरेख में किया था। पंचायतनामा की कार्यवाही मैंने बोल–बोलकर उपस्थित चौकी इंचार्ज से लिखवाई थी तथा पंचाग को पढ़कर सुनाया था और उनके हस्ताक्षर बनवाए थे और मैंने पंचाग की राय लेकर अपनी राय अंकित कराया तथा शव को पोस्टमार्टम कराए जाने हेतु सफेद कपड़े में सिलकर स्वयं मोहर नमूना सील लगाकर कां0 गजेन्द्र सिंह व रविन्द्र सिंह के सुपुर्द करके शव विच्छेदन हेतु भेजा गया। पंचायतनामा संलग्न पत्रावली जो मेरे हस्ताक्षर में है, जिसपर प्रदर्श क–3 डाला गया।

18– जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मुझे घटना की सूचना पौने सात बजे प्राप्त हुई थी। जब मैं मौके पर पहुंचा था, वहां पर थाना घाटमपुर की पुलिस मौजूद थी जब मैं पहुंचा तो दरवाजे की दीवाल तोड़कर अंदर से कुन्डी बंद होने के कारण अंदर भेजकर कुन्डी खोलकर लाश को नीचे उतारा गया था। जब मैं पहुंचा था, ससुराल व मायके पक्ष के लोग मौजूद थे। लाश को उतारने के बाद मौजूद महिलाओं को दिखा गया तो मृतका रेनू देवी के शरीर पर कोई जाहिरा चोटें नहीं थी। मैंने पंचायतनामा स्वयं नहीं भरा था। पंचायतनामा चौकी इंचार्ज पतारा को बोल–बोलकर लिखाया था। किसके मकान पर मृतका की लाश पाई गयी। मैं नहीं बता सकता। इस पंचायतनामा के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। घटना से एक दिन

पूर्व मृतक की मां व बहनोई पंकज आए थे। यह बात उसे पंकज ने भी बताया था। पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। इस तरह से मुझे सूचना मिली की मृतका दुपटटा लगाकर फांसी लगा ली थी। यह सूचना जरिये सतीश रपट में दी गयी थी जिससे मुझे जानकारी हुई।

19– **पी0 डब्लू05 श्यामू कुमार** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि रेनू मेरी बड़ी बहन थी। मेरी बहन रेनू की शादी दिनाक 22.2.2014 को सतीश कुमार के साथ मेरे घर वालों ने दान–दहेज देकर की थी। शादी मे हैसियत के मुताबिक डबल बेड, कूलर, वाशिंग मशीन, फ्रिज, सिलाई मशीन, पंखा, रजाई गद्गदा, सोफा सेट तथा अन्य गृहस्थी का सामान, कपड़े तथा एक हीरो हाण्डा मोटर साइकिल, टी0 वी0, दो बक्शे, सोने की दो अंगूठी, एक सोने की जंजीर सब मिलाकर साढे सात लाख रूपये शादी में खर्च किए थे। परन्तु मेरी बहन के ससुराल वाले पति सतीश, सास सीता देवी, ससुर जसवन्त, जेठ अजीत, देवर विवेक, उपेन्द्र, कमल किशोर व नन्द जयन्ती दिए गए दान–दहेज से खुश नहीं थे। एक रूपया अतिरिक्त दहेज के रूप मे मांग करते थे तो मेरी बहन रेनू ने ससुराल में यह बताया था कि पिताजी खत्म हो गए है। अब उनकी हैसियत अतिरिक्त दहेज देने की नहीं है। इस बात को लेकर ससुराल वाले मेरी बहन का मानसिक शारीरिक शोषण करने लगे और अक्सर मारपीट करते थे। यह बात मेरी बहन ने मुझे बताई थी। दिनांक 21.4.2015 को सभी ससुरालीजनों ने मिलकर मेरी बहन के उपर मिटटी का तेल डालकर जलाकर मारने का प्रयास किया किसी तरह से मेरी बहन ने बचाव अपना किया था। मेरी बहन इस घटना के बाद मेरे साथ मायके आ गयी थी। जिसकी शिकायत हम लोगों ने माती तहसील दिवस में किया था। बाद में ससुरालीजनों और हम लोगों के मध्य समझौता हो गया था और ससुरालीजनों ने आश्वासन दिया था कि अब उत्पीड़न नहीं करेंगे। दिनांक 23/24.9.2015 को मध्य रात में मेरी बहन की जगन्नाथपुर जहां पर बहनोई सतीश किराये का कमरा लेकर रहता था, मारपीट कर हत्या कर दी थी, यह बात किसी अज्ञात व्यक्ति ने हम लोगों को मोबाइल पर बताई थी। सूचना पर हम लोग अपने मामा कृपाराम व जीजा पंकज के साथ जगन्नाथपुर गए थे। मेरी बहन वहां मृत अवस्था में मिली थी। थाने में हम लोगों ने रिपोर्ट लिखाई थी हम लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी न्यायालय से रिपोर्ट लिखाने का

आदेश कराया था। उपरोक् ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज न मिल पाने के कारण मेरी बहन की हत्या कर दी है।

20– जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि बहन से अतिरिक्त दहेज मांगने वाली बात मेरे भाई ने मुझसे कब बताया था, मैं नहीं बता सकता। मेरी बहन दिनांक 21.4.2015 को अपमानित व शारीरिक शोषण करने लगे थे। यह बात मुझे पहली बार जानकारी हुई इस संबंध में मैंने प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिया था। यह प्रार्थना पत्र मैंने दिनांक 21.4.2015 को दिया था। लेकिन कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ था। मेरी बहन फिर दोबारा दिनांक 5.5.2015 को ससुराल गयी थी, उस दिन समझौता हुआ था। यह समझौता सतीश के घर वालों और हम लोगों के मध्य हुआ था। समझौता के बाद मेरी बहन ससुराल में कितने दिन रहीं मैं नहीं बता सकता हूं। बहन के मरने की सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल से दिया था, सूचना मेरी माता जी के पास आई थी। अज्ञात व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताया। हम लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं की। सूचना पर मैं और मेरा भाई रामू, मेरी मां रामश्री, मेरे मामा कृपाराम गए थे और इसके अलावा कोई नहीं गए थे। हम लोग मोटर साइकिलों से और मामा फोरव्हीलर से गए थे जब हम लोग वहां पहुंचे तो पुलिस वहां पहले से मौजूद थी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो सतीश के घर वाले वहां मौजूद नहीं थे। पहले हम लोग बाढ़ापुर गए फिर उसके बाद जगन्नाथपुर गए थे। जब मैं पहुंचा तो मेरी बहन की लाश खुटी से लटकी हुई थी। मैंने घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र थाने में दिया था। मुकदमा कायम हो गया था। हम लोग मौके पर रूके नहीं, बल्कि हम लोग कानपुर चले गए थे। थाने मेरे भाई, मेरी मां व मामा गए थे। यह कहना गलत है कि मेरी बहन रेनू के सारे जेवरात मेरी मां रामश्री के पास रखा है। यह कहना गलत है कि मेरी बहन ने मां से जेवर मांगे हो और न दिए हों। यह कहना गलत है कि जेवर वापस न होने के कारण मेरी बहन ने नाराज होकर आत्महत्या कर ली हो।

21– पी0 डब्लू06 रामशंकर ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 24.9.2015 को मैं अपने गांव जगन्नाथपुर में था, उसी दिन मुझे सतीश की पत्नी रेनू देवी के मरने की सूचना मिली। मैं सतीश के घर गया था। उस समय सुबह का समय था। रेनू कमरे के अंदर दीवाल की खूंटी में बंधी रस्सी के सहारे लटक रही थी, वो मर चुकी थी। मौके पर पुलिस व मजिस्ट्रेट आ गए थे। मेरे सामने रेनू देवी की

लाश को एक सफेद कपड़े मे लपेटकर पोस्टमार्टम हेतु पुलिस द्वारा भेजा गया था। उदन प्रसाद ने हम लोगों की राय पंचायतनामें पर अंकित की थी और मौके पर सभी पंचों ने पंचायतनामें पर हस्ताक्षर बनाए थे। पंचायतनामा शामिल मिसिल है। पत्रावली पर पेपर सं0 77 है। पंचायतनामा को देखकर गवाह ने कहा कि इसपर मेरे हस्ताक्षर हैं।

22– जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं सतीश को नहीं जानता हूं। कहां का रहने वाला है। मैं यह भी नहीं जानता। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं।

23– पी0 डब्लू07 डा0 सुनील कुमार वर्तमान तैनाती सी0 एच 0 सी0 शिवराजपुर जिला कानपुर देहात ने अपने की मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 24.9.2015 को मैं पोस्टमार्टम हाउस कानपुर नगर में तैनात था। उक्त दिनांक को थाना घाटमपुर में सी0 पी0 562 रवीन्द्र सिंह व होमगार्ड 4537 गजेन्द्र सिंह द्वारा मृतका रेनू देवी उम्र लगभग 25 वर्ष का शव वास्ते पोस्टमार्टम लाए थे, जिसका पोस्टमार्टम सहयोगी रहे डाक्टर मुनेश कुमार तिवारी के साथ उसी दिन समय 4–15 पी0 एम 0 से 4–45 पी0 एम 0 तक किया था।

24– सामान्य परीक्षण– मृतका के शव की लम्बाई 152 सेंमी, सामान्य कद, काठी, शव पर कपडों में एक कुर्ता एक ब्रा, एक नाक की कील पीली धातु की, एक सलवार, एक कलावा, एक जोड़ा पायल सफेद धातु की व एक जोड़ी बिछिया सफेद धातु की मौजूद थी। शव में मृत्यु पश्चात की अकड़न हांथों पैरों में मौजूद थी और गर्दन से उतर रही थी। पी0 एम 0 स्टेनिंग शरीर के पिछले हिस्से पर मौजूद थी। आंखे बंद थी। मूंह अधखुला था मूंह के बाई ओर से लार बही हुई थी।

25– बाह्य परीक्षण– मृतका के गले में मृत्यू पूर्व की चोटों में लिगेचर मार्क 30 सेंमी0 X 2 सेंमी, गले के चारो ओर मौजूद थी और गले के पीछे दाहिने तरफ 6 सेंमी का गेट था। जो पांच सेंमी ठोड़ी के नीचे व 6 सेंमी बाये कान से नीचे व दाहिने कान के ठीक नीचे मौजूद थी। लिगेचर मार्क को काटने पर उसके नीचे सफेद चमकदार पर्त मौजूद थी।

2– क्न्टयूजन 4 सेंमी X 3 सेंमी दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से पर मौजूद था। जो कि 10 सेंमी दाहिने घुटने के उपर मौजूद था।

3– क्न्टयूजन 3 सेंमी X 2 सेंमी दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से में दाहिने घुटने से 15 सेंमी उपर मौजूद था।

4– कन्टयूजन 3 सेंमी X 2 सेंमी बाईं जांघ के सामने वाले हिस्से में बाये घुटने से 5 सेंमी उपर मौजूद था।

26– आंतरिक परीक्षण– दिमाग की झिल्लिंया कंजेस्टेड थी।

27– मेरी राय में मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम के लगभग आधा से एक दिन के बीच होना संभव है। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व हैगिंग में चोट नम्बर से स्वास अवरोध हो जाने के कारण हुई है। चोट नं0 2 लगायत 4 ठोस व कुंदआले से आना सम्भव है और चोट नं0 एक फांसी लगने से आई है। उपरोक्त चोटों से मृत्यु होना सम्भव है।

28– पोस्टमार्टम करने के उपरान्त मेरे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या 2739/2015 दिनांकित 24.9.2015 तैयार की गयी थी जो कि मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसपर सत्यापन के उपरान्त प्रदर्श क–4 डाला गया।

29– जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मृतका का पी0एम0 दो डाक्टर के पैनल द्वारा किया गया था। लिगेचर मार्क का कलर मृत्यु के 6 घंटे तक लाल रहता है उसके पश्चात काला कलर का हो जाता है। यह काला कलर 6 से 12 घंटे तक रहता है। यह कहना सही है कि मृतका की मृत्यु श्वास अवरोध के कारण हुई थी।

30– **पी0डब्लू08 जितेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक/स्टाफ आफिसर ए0डी0जी0 बरेली** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 3.4.2016 को मेरी तैनाती क्षेत्राधिकारी घाटमपुर कानपुर नगर के पद पर थी, उसी दिन ही मुकदमा अपराध संख्या 1572/2015 धारा 498–ए,304–बी भा0दं0सं0 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 बनाम सतीश कुमार थाना घाटमपुर की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी। तमामी विवेचना गवाह स्वतंत्र साक्षी, गवाह निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन पंचायनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान मजिस्ट्रेट, बयान डाक्टर व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त अजीत कुमार, विवेक कुमार, उपेन्द्र कुमार, कमल किशोर, कुमारी जयन्ती की घटना में संलिप्तता नहीं पायी गयी और विवेचना में इनके नाम पृथक किए गए। अभियुक्त सतीश कुमार, जसवन्त व सीता देवी के विरूद्व धारा 498–ए,304–बी भा0दं0सं0 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 का अपराध बखूबी साबित होता है। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सतीश कुमार, जसवन्त व सीता देवी का चालान धारा 498–ए, 304–बी भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र संख्या 24/2016 दिनांक 14.5.2016 को

किया गया। आरोप पत्र मेरे हस्तलेख में है जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। जिसपर प्रदर्श क–7 डाला गया जो कि शामिल पत्रावली है।

31– जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटनास्थल की नक्शा नजरी मेरे द्वारा तैयार नहीं की गयी थी। पूर्व विवेचक द्वारा तैयार की गयी थी। अपनी विवेचना के दौरान मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया गया। मेरे द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल के पास रहने वाले जगदीश, राजबहादुर के बयान अंकित किए। स्वतंत्र साक्षियों पुष्पा देवी, मकान मालकिन, उदल प्रसाद, जगदीश, राजबहादुर व चंद्रभान के जो मैंने बयान अंकित किए थे, अपने बयान में मुझे यह नहीं बताया कि मृत्यु के पूर्व अभियुक्तगणों द्वारा एक लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की मांग की बात नहीं बतायी हो। मैंने पी0 एम 0 कर्ता डाक्टर का बयान लिया था उसमें मृत्यु का कारण हैंगिग बताया था। मृत्यु पूर्व चोटों वाली बात नहीं बताई थी। मैंने पंचायतनामा का अवलोकन किया मृतका रेनू के कोई शरीर पर बाहरी चोट का विवरण अंकित नहीं है।

32– **पी0 डब्लू08 उपनिरीक्षक श्रीमती नाजिश सिद्दकी, मण्डल कार्यालय जनपद बांदा** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 2.12.2015 को मैं थाना घाटमपुर में एच 0 सी0 पी0 के पद पर थाना कार्यालय पर मौजूद थी। उक्त दिनांक को डाक पैड से प्राप्त प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 द्वारा वादिनी रामश्री में अंकित तथ्यों एवं शब्दों का शब्दशः बोल–बोलकर कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर आपरेटर त्रिवेन्द्र कुमार द्वारा टाइप कराई थी। उक्त प्रार्थना पत्र की मूल प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है जिसपर संलग्न आदेश दिनांकित 20.11.2015 के अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 498–ए,304–बी भ 0 दं0 सं0 व दहेज प्रतिशेध अधिनिय की धारा 3/4 मु0 अ 0 सं0 1572 दिनांकित 2.12.2015 विरूद्व सतीश कुमार, सीता देवी, अजीत, विवेक, उपेन्द्र, कमल किशोर, जयन्ती व जसवंत कुल आठ नफर के विरूद्व पंजीकृत की थी जिसका खुलासा जी0 डी0 सं0 21 समय 10 बजकर 5 मिनट दिनंकित 2.12.2015 मेरे द्वारा स्वयं अंकित की गयी थी जो कि मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में पत्रावली पर कार्बन प्रति पेपर संख्या 21 संलग्न है जिसे मैं प्रमाणित करती हूं। मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क–5 व जी0 डी0 पर प्रदर्श क–6 डाला गया। विवेचक ने उक्त के संबंध मे पूछताछ की थी।

33– प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि एफ0आई0आर0 कागज संख्या 8 के साथ संलग्न कागज संख्या 12 के आधार पर व कागज संख्या 22 आदेश की प्रति के आधार पर ही मैंने मुकदमा पंजीकृत किया था। मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिनांक 2–12–2015 को डाकपैड से प्राप्त हुआ था जिसपर आदेश एस0ओ0 महोदय एच0एम0 कृपया अभियोग पंजीकृत करें के अनुपालन में मुकदमा पंजीकृत किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कम्प्यूटर द्वारा टाइप की गयी थी, वह मेरे बोलने पर त्रिवेन्द्र कुमार द्वारा टाइप की गयी थी, जिसमें न तो मेरे हस्ताक्षर हैं और न ही त्रिवेद्र कुमार के हस्ताक्षर हैं। पहले मैंने एफ0आई0आर0 बोल–बोलकर टाइप कराई थी। इसके बाद मैंने जी0 डी0 तैयार की थी। विवेचक ने मेरा बयान अपनी पेशी के दौरान दिनांक 2–12–2015 को लिया था।

34– **पी0 डब्लू010 सेवानिवृत्त डिप्टी एस0पी0 कृष्ण कुमार** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 2 दिसम्बर सन 15 को मेरी तैनाती घाटमपुर क्षेत्राधिकारी के पद पर थी। उसी दिन मुझे मु0अ0सं0 1572/2015 धारा 498–ए, 304–बी भा0 दं0 सं0 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 थाना घाटमपुर की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। श्यामू कुमार की निशादेही पर मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार किया जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मूल नक्शा नजरी संलग्न पत्रावली है। जिसपर प्रदर्श क–8 डाला गया। दिनांक 23.1.2016 को मेरे द्वारा केस डायरी का पर्चा सं06 किता किया गया जिसमें फोरेन्सिक विशेषज्ञ द्वारा डिजिटल फोटोग्राफी प्राप्त हुई। नकल की गयी। दिनांक 29.3.2016 को मेरा स्थानान्तरण हो जाने के कारण आगे की विवेचना नये क्षेत्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

35– जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैंने दौरान विवेचना श्रीमती रामश्री व भाई श्यामू सिंह व रामू सिंह के व कृपाराम के बयान तथा पंकज के बयान अंकित किए थे। यह बात मेरी जानकारी में नहीं है कि मुकदमा वादिनी रामश्री द्वारा अपनी बेटी रेनू देवी की मृत्यु के संबंध में कोई लिखित प्रार्थना पत्र दिया था या नहीं। मुकदमा वादिनी द्वारा दौरान विवेचना मुझे समझौतेनामें की कोई प्रति प्रदान नहीं की गयी। घटनास्थल का निरीक्षण करते समय निरीक्षण के समय श्यामू कुमार द्वारा बताया गया।

36– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि मृतका का विवाह दिनांक 22.2.2014 को अभियुक्त सतीश कुमार से हुआ था। विवाह के उपरान्त से ही मृतका के पति सतीश कुमार, ससुर जसवन्त व सास श्रीमती सीता देवी के द्वारा मृतका रेनू देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और एक लाख रूपये की मांग की जाने लगी, सभी ससुरालीजन के द्वारा मृतका रेनू से मारपीट की जाती थी, और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। सभी साक्षीगणों पी0 डब्लू01 रामू सिंह मृतका का सगा भाई, पी0 डब्लू02 रामश्री मृतका की मां, पी0 डब्लू05 श्यामू कुमार (मृतका का सगा भाई), के द्वारा न्यायालय में आकर साक्ष्य दी गयी और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतका का विवाह सन 2014 में अभियुक्त से हुआ था, घटना दिनांक 23/24.9.2015 की है, जिस दिन श्रीमती रेनू की फांसी लगाकर उसके ससुरालीजनों के द्वारा हत्या कर दी गयी।

उपरोक्त के क्रम में विद्वान ए0 डी0 जी0 सी0 के द्वारा प्रार्थना की गयी है कि इस प्रकरण में दहेज हत्या के सभी कारक मौजूद हैं तथा विवाह होने के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में पीड़िता की मृत्यु हुई है। अतः धारा–113–बी साक्ष्य अधिनियम आकर्षित होता है तथा पति तथा अन्य अभियुक्तों की ओर से न तो कोई साक्ष्य दिया गया है न ही सोनी की असामान्य मृत्यु के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, अतः सभी अभियुक्तगण दोषी हैं एवं सजा के भागी हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। जिसमें यह कहा गया है कि वादिनी द्वारा दिए गए धारा 156(3)दं0 प्र0 सं0 के प्रार्थना पत्र पर जो घटना के 21 दिन बाद न्यायालय में दिया गया है, देरी का कोई स्पष्टीकरण अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाया गया है। तथ्य के सभी गवाहों से शादी में मात्र सामर्थ्य के अनुसार खर्च करने से शादी में कोई दहेज की मांग की पुष्टि न होने, मृत्यु के ठीक पूर्व फोन पर राजी खुशी की बात कहने, समझौते के काफी समय बाद घटना घटित होने, गवाहों के बयान आपस में काफी भिन्न व विरोधाभाष होने, दहेज में एक लाख अतिरिक्त दहेज की मांग की बात कहने, लेकिन वादिनी स्वयं अपने बयानों में सास द्वारा खाना न

देने तथा चार पहिया गाड़ी की मांग की बात मृतका द्वारा बताने इस संबंध में मृतका के दोनों भाई रामू व श्यामू के बयान वादिनी से भिन्न होने, गवाह श्यामू मृतका के भाई द्वारा मृत्यु के पूर्व केवल राजी खुशी के अलावा अन्य कोई बात न होने की बात कहने, मृतका अपने पति सतीश के साथ ससुराल बाढ़ापुर से 40–50 किमी0 दूर जगन्नाथपुर में सास–ससुर से अलग किराये के मकान में रहने, मृत्यु के एक दिन पूर्व वादिनी रामश्री बड़े दामाद पंकज के साथ मृतका के यहां आने जेवर हड़पने तथा न देने के बारे में विवाद होने से लड़ाई झगड़ा तथा धमकी व मरने के लिए उकसाने जो बचाव पक्ष के गवाह मकान मालकिन पुष्पा देवी द्वारा अपने बयान से समर्थन करने के अतिरिक्त पंचायतनामाकर्ता के गवाह पी0 डब्लू04 शशी भूषण तहसीलदार ने अपने प्रतिपरीक्षा में उक्त बातें स्वयं पंकज व मौजूद लोगों द्वारा बताए जाने, पंचायतनामा के समय ससुराल व मायके पक्ष के लोग मौजूद होने, पंचायतनामा के गवाह अभियुक्त जसवंत स्वयं होने, घटना की फौती सूचना अभियुक्त सतीश द्वारा लिखित रूप से थाना घाटमपुर व फोन से ससुरालीजनों को देने, पोस्टमार्टम होने तथा शव दफनाने व अन्य क्रिया–कर्म तक वादी पक्ष द्वारा कोई कार्यवाही या प्रार्थना पत्र न देने जिसकी पुष्टि औपचारिक साक्षी से होने के बाद में अपने खिलाफ कार्यवाही से बचने तथा अभियोजन कहानी को किसी स्वतंत्र गवाह से पुष्टि न होने, मृतका की मृत्यु फांसी लगाने से श्वास अवरोध होने के कारण होने, मृतका के शरीर पर अन्य कोई जाहिरा चोट न होने से अभियुक्तगण के विरूद्व अभियोजन अपने मुकदमें को सिद्व करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

प्रस्तुत प्रकरण के न्यायपूर्ण एवं प्रभावी विनिश्चय के लिए दं0 प्र0 सं0 1973 की धारा 354 (1) (बी) के अंतर्गत निम्न निर्धारण बिन्दु विरचित किए जाते हैं–

1– क्या मृतका की शादी से दिनांक के बाद से मृत्यु 23/24.9.2015 होने के बीच अभियुक्तगण ने मृतका श्रीमती रेनू से अतिरिक्त दहेज की मांग कर मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया।

2– क्या उपरोक्त समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने मृतका को उसकी शादी के 7 वर्ष के अंदर बराबर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उससे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा उसकी मृत्यु कारित की?

3– क्या अभियुक्तगण के द्वारा मृतका की मृत्यु के पूर्व (Soom before her death) दहेज की अतिरिक्त की मांग कर उसे प्रताड़ित किया तथा उसकी मृत्यु कारित की।

निष्कर्ष–

उपरोक्त निर्धारण बिन्दुओं व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के प्रकाश में उपरोक्त विरचित निर्धारण बिन्दुओं के निस्तारण हेतु अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी के रूप में सर्वप्रथम पी0 डब्लू01 रामू सिंह को पेश किया गया है। जो मृतका का भाई है, साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि मेरी बहन की रेनू की शादी दिनांक 22.2.2014 को सतीश के साथ हिन्दू–रीति–रिवाज के साथ हुई थी। शादी में मैंने अपनी बहन को अपनी हैसियत के अनुसार डबलबेड, कूलर, फ्रीज, वाशिंग मशीन, पंखा, रजाई, गद्वदा, सिलाई मशीन, सोफा तथा एक हीरो हाण्डा मोटर साइकिल, टी0 वी0, दो बक्शे, दो सोने की अंगूठी और गृहस्थी का सामान आदि दिया था पर रेनू के ससुराल वाले उसके पति सतीश, सास सीता देवी, ससुर जसवन्त सिंह, जेठ अजीत और कमल किशोर (देवर), उपेन्द्र (देवर), विवेक (देवर), नन्द जयन्ती दिए गए दान–दहेज से संतुष्ट नहीं थे और ससुरालीजन उपरोक्त मेरी बहन रेनू से अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रूपये की मांग करते थे और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और दिनांक 21.4.2015 को इन लोगों ने मेरी बहन रेनू को मिटटी का तेल डालकर मारने का प्रयास किया। इसकी शिकायत हम लोगों ने तहसील दिवस में दिया था। इसपर ससुराल वाले समझौते के लिए दबाव बनाने लगे तो हमने और हमारे घर वालों ने सोचा कि मेरी बहन रेनू को ससुराल में रहना है और हम लोगों ने समझौता करके अपनी बहन रेनू के पति सतीश के साथ विदा कर दिया था और समझौता स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप से हुआ था। इसके बाद सतीश मेरी बहन को अपने गांव बाड़ापुर विदा कराकर ले गए कुछ दिनों बाद सतीश किराये का मकान लेकर जगन्नाथपुर में रहने लगा था। किराये के कमरे में मेरी बहन रेनू और सतीश रहते थे और मेरी बहन रेनू के ससुरालीजन वहां पर आते–जाते रहते थे। घटना दिनांक 23/24.9.2015 की रात की है। मुझे वहीं के कुछ लोगों द्वारा सूचना दी गयी कि आपकी बहन की मृत्यु हो गयी है। आप आओ और आकर देखो। इस सूचना पर मैं,

अपनी मां व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी बहन रेनू के ससुराल बाढ़ापुर पहुंचा तो वहां पर ससुराल का कोई सदस्य नहीं मिला और घर पर ताला लगा था। इसके बाद हम लोग जगन्नाथपुर गए और देखा कि मेरी बहन रेनू फांसी पर लटकी हुई थी और मौके पर पुलिस वाले मौजूद थे। मैंने अपनी बहन रेनू के ससुराल वालों के खिलाफ लिखकर और अपनी मां से अंगूठा निशान लगाकर वहीं मौके पर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था। ससुरालीजन ने मेरी बहन से एक लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। इस संबंध में मेरी बहन को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे। इस बात का प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिया था। किस अधिकारी को दिया था, मुझे नहीं पता। उक्त प्रार्थना पत्र मैंने दिनांक 21.4.2015 को दिया था। यह प्रार्थना पत्र मैंने दरोगाजी को दिया था। जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। बहन के मरने की सूचना दिनांक 24.9.2015 को सुबह 6 बजे मिली थी। घटना दिनांक 23/24.9.2015 की बात है। मुझे वहीं के लोगों द्वारा सूचना दी गयी कि आपकी बहन की मृत्यु हो गयी है। जब मैं पहुंचा तो घर के कमरे का दरवाजा खुला था। मेरी बहन की लाश पड़ी थी, पुलिस वाले कुछ कर रहे थे। मेरी बहन के पूरे शरीर पर चोटें थीं।

साक्षी पी0 डब्लू02 रामश्री के द्वारा अपनी साक्ष्य में कहा गया है कि मेरी लड़की रेनू देवी की शादी 22.2.2014 को सतीश के साथ हिन्दू–रीति रिवाज से हुई थी। शादी में मैंने व मेरे लड़को ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार डबल बेड, कूलर, वाशिंग मशीन, फ्रिज आदि गृहस्थी का सामान दिया था और शादी में करीब 7 लाख रूपये खर्च किया था। शादी के बाद मेरी लड़की विदा होकर अपनी ससुराल गयी थी। मेरी लड़की रेनू जब ससुराल से विदा होकर आई तो उसने बताया कि पति सतीश, ससुर जसवन्त, सास सीता देवी, जेठ अजीत देवर विवेक, उपेन्द्र, कमल किशोर व नन्द जयन्ती दहेज में अतिरिक्त एक लाख रूपये की मांग करते हैं और शादी में किए गए खर्च व दान–दहेज से संतुष्ट नहीं है। रेनू ने मुझे यह भी बताया कि ससुरालीजनों को बताया था कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गयी है इसके बाद भी ससुरालीजन मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते हैं और दहेज में एक लाख रूपये की मांग करते हैं। कुछ दिनों बाद मेरी लड़की रेनू को विदा कराने के लिए पति सतीश, ससुर जसवन्त, जेठ अजीत व उपेन्द्र आदि लोग आए थे। मेरी लड़की रेनू जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन मैंने व मेरे लड़को

ने समझाकर रेनू को ससुराल वालों के साथ विदा कर दिया था। दिनांक 21.4.2015 को मिटटी का तेल डालकर मेरी लड़की को जलाने की कोशिश की तो मेरी लड़की चुपचाप ससुराल से मायके आ गयी थी और लड़की ने ससुराल जाने से मनाकर दिया था। बाद में लड़की के ससुराल से पति सतीश, विवेक, उपेन्द्र, अजीत कुमार, सीता देवी, जयन्ती व जसवन्त विदा कराने आए थे और मैंने व मेरे लड़कों ने रेनू को विदा ऐच्छिक ब्यूरो माती कानपुर देहात में समझौता होने के बाद विदा किया था। ऐच्छिक ब्यूरो ने उपरोक्त सभी लोगों ने सशपथ पत्र दिया था बाद में रेनू की ससुराल वालों ने रेनू को ग्राम जगन्नाथपुर थाना घाटमपुर में भेज दिया। जहां पर सतीश किराये का कमरा लेकर रहता था। दिनांक 23/24.9.2015 की रात को उरोक्त सभी ससुरालीजनों ने योजना बनाकर मेरी लड़की रेनू को मारा पीटा और कपड़े टांगने की लकड़ी की खूंटी में दुपटटे के सहारे मारकर टांग दिया। गांव के किसी व्यक्ति ने फोन कर यह सूचना दी थी। इस सूचना पर मैंने सतीश को फोन किया तो सतीश का फोन बंद था तब मैं अपने लड़के रामू, श्यामू, बड़े दामाद पंकज, भाई कृपाराम के साथ लेकर जगन्नाथपुर गयी थी तो देखा कि कमरे में मेरी लड़की लटकी हुई है और उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, उपरोक्त ससुरालीजन वहां पर मौजूद नहीं थे। मैंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था और उसके आधार पर न्यायालय द्वारा उपरोक्त ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा लिखाने का आदेश दिया गया था। आदेश के बाद पुलिस ने कार्यवाही की थी और मेरा बयान लिया था। शामिल मिसिल धारा 156(3) दं0 प्र0 सं0 का प्रार्थना पत्र देखकर गवाह ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जो मैंने अपना निशान अंगूठा लगाकर न्यायालय में दिया था। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। शामिल मिसिल रेनू की शादी के कार्ड पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

पी0 डब्लू03 बाबूराम ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि मैं दिनांक 24.9.2015 को अपने घर पर जगन्नाथपुर में था। उस दिन मुझे सतीश की पत्नी श्रीमती रेनू देवी के मरने की सूचना पर मैं सतीश के घर गया था, उस समय सुबह का वक्त था। रेनू कमरे के अंदर दीवाल की खूंटी में बंधी रस्सी के सहारे लटक रही थी। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मौके पर पुलिस व मजिस्ट्रेट आए थे। मेरे सामने रेनू की लाश के साथ सफेद कपड़े में लपेट के पोस्टमार्टम हेतु पुलिस द्वारा भेजा गया था। उदन प्रसाद ने हम लोगों की राय पचायतनामें पर अंकित की थी और मैंने व सभी पंचों ने पंचायतनामा पर हस्ताक्षर बनाए

थे। पंचायतनामा शामिल पत्रावली पेपर सं0 77 है। पंचायतनामा को देखकर गवाह ने कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पंचायतनामा में मैंने दस्तखत किए थे, मुझे पढ़कर नही सुनाया गया था।

पी0 डब्लू04 शशीभूषण तहसीलदार ने बयान दिया है कि दिनांक 24.9.2015 को मैं नायब तहसीलदार घाटमपुर के पद पर नियुक्त था। मुझे थाना एवं अधिकारियों की सूचना पर ग्राम जगन्नाथपुर थाना घाटमपुर में शव के पंचायतनामा हेतु पंचायतनामा सम्पन्न कराने के लिए भेजा गया था। मौके पर पहुंचकर मृतका रेनू देवी उम्र लगभग 25 वर्ष के शव के पोस्टमाटम की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु वहां पर मौजूद चौकी इंचार्ज पतारा मय हमराह पुलिसकर्मी के साथ फील्ड यूनिट मौजूद मिले तथा जांच हेतु फील्ड यूनिट कानपुर की टीम भी मौजूद थी। मौके पर पहुंचकर शव को मकान के अंदर से शव को कुन्डे से उतरवाकर लोगों की उपस्थिति में पंचायत की राय लेकर पंचान नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ की। शरीर मे आई चोटों का निरीक्षण अपनी देखरेख में किया था। पंचायतनामा की कार्यवाही मैंने बोल–बोलकर उपस्थित चौकी इंचार्ज से लिखवाई थी तथा पंचाग को पढ़कर सुनाया था और उनके हस्ताक्षर बनवाए थे और मैंने पंचाग की राय लेकर अपनी राय अंकित कराया तथा शव को पोस्टमार्टम कराए जाने हेतु सफेद कपड़े में सिलकर स्वयं मोहर नमूना सील लगाकर कां0 गजेन्द्र सिंह व रविन्द्र सिंह के सुपुर्द करके शव विच्छेदन हेतु भेजा गया। पंचायतनामा संलग्न पत्रावली जो मेरे हस्ताक्षर में है, जिसपर प्रदर्श क–3 डाला गया। जब मैं पहुंचा तो दरवाजे की दीवाल तोड़कर अंदर से कुन्डी बंद होने के कारण अंदर भेजकर कुन्डी खोलकर लाश को नीचे उतारा गया था। जब मैं पहुंचा था, ससुराल व मायके पक्ष के लोग मौजूद थे। लाश को उतारने के बाद मौजूद महिलाओं को दिखाया गया तो मृतका रेनू देवी के शरीर पर कोई जाहिरा चोटें नहीं थी। मैंने पंचायतनामा स्वयं नहीं भरा था। पंचायतनामा चौकी इंचार्ज पतारा को बोल–बोलकर लिखाया था। किसके मकान पर मृतका की लाश पाई गयी। घटना से एक दिन पूर्व मृतक की मां व बहनोई पंकज आए थे। यह बात उसे पंकज ने भी बताया था। पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। इस तरह से मुझे सूचना मिली की मृतका दुपटटा लगाकर फांसी लगा ली थी। यह सूचना जरिये सतीश रपट में दी गयी थी जिससे मुझे जानकारी हुई।

पी0 डब्लू05 श्यामू कुमार ने कथन किया है कि रेनू मेरी बड़ी बहन थी। मेरी बहन रेनू की शादी दिनाक 22.2.2014 को सतीश कुमार के साथ मेरे घर वालों ने दान–दहेज देकर की थी। शादी मे हैसियत के मुताबिक डबल बेड, कूलर, वाशिंग मशीन, फ्रिज, सिलाई मशीन, पंखा, रजाई गद्वदा, सोफा सेट तथा अन्य गृहस्थी का सामान, कपड़े तथा एक हीरो हाण्डा मोटर साइकिल, टी0 वी0, दो बक्शे, सोने की दो अंगूठी, एक सोने की जंजीर सब मिलाकर साढे सात लाख रूपये शादी में खर्च किए थे। परन्तु मेरी बहन के ससुराल वाले पति सतीश, सास सीता देवी, ससुर जसवन्त, जेठ अजीत, देवर विवेक, उपेन्द्र, कमल किशोर व नन्द जयन्ती दिए गए दान–दहेज से खुश ही थे। एक लाख रूपया अतिरिक्त दहेज के रूप मे मांग करते थे तो मेरी बहन रेनू ने ससुराल में यह बताया था कि पिताजी खत्म हो गए है। अब उनकी हैसियत अतिरिक्त दहेज देने की नहीं है। इस बात को लेकर ससुराल वाले मेरी बहन का मानसिक शारीरिक शोषण करने लगे और अक्सर मारपीट करते थे। यह बात मेरी बहन ने मुझे बताई थी। दिनांक 21.4.2015 को सभी ससुरालीजनों ने मिलकर मेरी बहन के उपर मिटटी का तेल डालकर जलाकर मारने का प्रयास किया किसी तरह से मेरी बहन ने बचाव अपना किया था। मेरी बहन इस घटना के बाद मेरे साथ मायके आ गयी थी। जिसकी शिकायत हम लोगों ने माती तहसील दिवस में किया था। बाद में ससुरालीजनों और हम लोगों के मध्य समझौता हो गया था और ससुरालीजनों ने आश्वासन दिया था कि अब उत्पीड़न नहीं करेंगे। दिनांक 23/24.9.2015 को मध्य रात में मेरी बहन की जगन्नाथपुर जहां पर बहनोई सतीश किराये का कमरा लेकर रहता था, मारपीट कर हत्या कर दी थी, यह बात किसी अज्ञात व्यक्ति ने हम लोगों को मोबाइल पर बताई थी। सूचना पर हम लोग अपने मामा कृपाराम व जीजा पंकज के साथ जगन्नाथपुर गए थे। मेरी बहन वहां मृत अवस्था में मिली थी। थाने में हम लोगों ने रिपोर्ट लिखाई थी हम लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी न्यायालय से रिपोर्ट लिखाने का आदेश कराया था। उपरोक्त् ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज न मिल पाने के कारण मेरी बहन की हत्या कर दी है। सूचना पर मैं और मेरा भाई रामू, मेरी मां रामश्री, मेरे मामा कृपाराम गए थे और इसके अलावा कोई नहीं गए थे। हम लोग मोटर साइकिलों से और मामा फोरव्हीलर से गए थे जब हम लोग वहां पहुंचे तो पुलिस वहां पहले से मौजूद थी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो सतीश के घर वाले वहां मौजूद नहीं थे। पहले हम लोग बाढ़ापुर गए फिर उसके

बाद जगन्नाथपुर गए थे। जब मैं पहुंचा तो मेरी बहन की लाश खुटी से लटकी हुई थी। मैंने घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र थाने में दिया था। मुकदमा कायम हो गया था। हम लोग मौके पर रूके नहीं, बल्कि हम लोग कानपुर चले गए थे। थाने मेरे भाई, मेरी मां व मामा गए थे।

पी0 डब्लू06 रामशंकर ने बयान दिया है कि दिनांक 24.9.2015 को मैं अपने गांव जगन्नाथपुर में था, उसी दिन मुझे सतीश की पत्नी रेनू देवी के मरने की सूचना मिली। मैं सतीश के घर गया था। उस समय सुबह का समय था। रेनू कमरे के अंदर दीवाल की खूंटी में बंधी रस्सी के सहारे लटक रही थी, वो मर चुकी थी। मौके पर पुलिस व मजिस्ट्रेट आ गए थे। मेरे सामने रेनू देवी की लाश को एक सफेद कपड़े मे लपेटकर पोस्टमार्टम हेतु पुलिस द्वारा भेजा गया था। उदन प्रसाद ने हम लोगों की राय पंचायतनामें पर अंकित की थी और मौके पर सभी पंचों ने पंचायतनामें पर हस्ताक्षर बनाए थे। पंचायतनामा शामिल मिसिल है। पत्रावली पर पेपर सं0 77 है। पंचायतनामा को देखकर गवाह ने कहा कि इसपर मेरे हस्ताक्षर हैं।

पी0 डब्लू07 डा0 सुनील कुमार ने बयान दिया है कि दिनांक 24.9.2015 को मैं पोस्टमार्टम हाउस कानपुर नगर में तैनात था। उक्त दिनांक को थाना घाटमपुर में सी0 पी0 562 रवीन्द्र सिंह व होमगार्ड 4537 गजेन्द्र सिंह द्वारा मृतका रेनू देवी उम्र लगभग 25 वर्ष का शव वास्ते पोस्टमार्टम लाए थे, जिसका पोस्टमार्टम सहयोगी रहे डाक्टर मुनेश कुमार तिवारी के साथ उसी दिन समय 4–15 पी0 एम 0 से 4–45 पी0 एम 0 तक किया था।

सामान्य परीक्षण– मृतका के शव की लम्बाई 152 सेंमी, सामान्य कद, काठी, शव पर कपडों में एक कुर्ता एक ब्रा, एक नाक की कील पीली धातु की, एक सलवार, एक कलावा, एक जोड़ा पायल सफेद धातु की व एक जोड़ी बिछिया सफेद धातु की मौजूद थी। शव में मृत्यु पश्चात की अकड़न हांथों पैरों में मौजूद थी और गर्दन से उतर रही थी। पी0 एम 0 स्टेनिंग शरीर के पिछले हिस्से पर मौजूद थी। आंखे बंद थी। मूंह अधखुला था मूंह के बाई ओर से लार बही हुई थी।

बाह्य परीक्षण– मृतका के गले में मृत्यू पूर्व की चोटों में लिगेचर मार्क 30 सेंमी0X 2 सेंमी, गले के चारो ओर मौजूद थी और गले के पीछे दाहिने तरफ 6 सेंमी का गेट था। जो पांच सेंमी ठोड़ी के नीचे व 6 सेंमी बाये कान से नीचे व दाहिने कान के

ठीक नीचे मौजूद थी। लिगेचर मार्क को काटने पर उसके नीचे सफेद चमकदार पर्त मौजूद थी।

2– क्न्टयूजन 4 सेंमी X 3 सेंमी दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से पर मौजूद था। जो कि 10 सेंमी दाहिने घुटने के उपर मौजूद था।

3– क्न्टयूजन 3 सेंमी X2 सेंमी दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से में दाहिने घुटने से 15 सेंमी उपर मौजूद था।

4– कन्टयूजन 3 सेंमीX2 सेंमी बाईं जांघ के सामने वाले हिस्से में बाये घुटने से 5 सेंमी उपर मौजूद था।

मेरी राय में मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम के लगभग आधा से एक दिन के बीच होना संभव है। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व हैगिंग में चोट नम्बर से स्वास अवरोध हो जाने के कारण हुई है। चोट नं0 2 लगायत 4 ठोस व कुंदआले से आना सम्भव है और चोट नं0 एक फांसी लगने से आई है। उपरोक्त चोटों से मृत्यु होना सम्भव है।

पोस्टमार्टम करने के उपरान्त मेरे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या 2739/2015 दिनांकित 24.9.2015 तैयार की गयी थी जो कि मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसपर सत्यापन के उपरान्त प्रदर्श क–4 डाला गया। यह कहना सही है कि मृतका की मृत्यु श्वास अवरोध के कारण हुई थी।

32– **पी0 डब्लू09 उपनिरीक्षक श्रीमती नाजिश सिद्दकी, मण्डल कार्यालय जनपद बांदा** ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 2.12.2015 को मैं थाना घाटमपुर में एच0 सी0 पी0 के पद पर थाना कार्यालय पर मौजूद थी। उक्त दिनांक को डाक पैड से प्राप्त प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं0 प्र0 सं0 द्वारा वादिनी रामश्री में अंकित तथ्यों एवं शब्दों का शब्दशः बोल–बोलकर कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर आपरेटर त्रिवेन्द्र कुमार द्वारा टाइप कराई थी। उक्त प्रार्थना पत्र की मूल प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है जिसपर संलग्न आदेश दिनांकित 20.11.2015 के अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 498–ए,304–बी भ0 दं0 सं0 व दहेज प्रतिशेध अधिनिय की धारा 3/4 मु0 अ0 सं0 1572 दिनांकित 2.12.2015 विरूद्व सतीश कुमार, सीता देवी, अजीत, विवेक, उपेन्द्र, कमल किशोर, जयन्ती व जसवंत कुल आठ नफर के विरूद्व पंजीकृत की थी जिसका खुलासा जी0 डी0 सं0 21 समय 10 बजकर 5 मिनट दिनंकित 2.12.2015 मेरे द्वारा स्वयं अंकित की गयी थी जो कि मेरे हस्तलेख व

हस्ताक्षर में पत्रावली पर कार्बन प्रति पेपर संख्या 21 संलग्न है जिसे मैं प्रमाणित करती हूं। मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क–5 व जी0 डी0 पर प्रदर्श क–6 डाला गया। विवेचक ने उक्त के संबंध मे पूछताछ की थी।

पी0 डब्लू08 जितेन्द्र कुमार अपर पुलिस अधीक्षक/स्टाफ आफिसर ए0 डी0 जी0 बरेली ने अपने बयान में कहा है दिनांक 3.4.2016 को मेरी तैनाती क्षेत्राधिकारी घाटमपुर कानपुर नगर के पद पर थी, उसी दिन ही मुकदमा अपराध संख्या 1572/2015 धारा 498–ए,304–बी भा0 दं0 सं0 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 बनाम सतीश कुमार थाना घाटमपुर की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सतीश कुमार, जसवन्त व सीता देवी का चालान धारा 498–ए, 304–बी भा0 दं0 सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र संख्या 24/2016 दिनांक 14.5.2016 को किया गया। आरोप पत्र मेरे हस्तलेख में है जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। जिसपर प्रदर्श क–7 डाला गया जो कि शामिल पत्रावली है। स्वतंत्र साक्षियों पुष्पा देवी, मकान मालकिन, उदल प्रसाद, जगदीश, राजबहादुर व चंद्रभान के जो मैंने बयान अंकित किए थे, अपने बयान में मुझे यह नहीं बताया कि मृत्यु के पूर्व अभियुक्तगणों द्वारा एक लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की मांग की बात नहीं बतायी हो। मैंने पी0 एम0 कर्ता डाक्टर का बयान लिया था उसमें मृत्यु का कारण हैंगिग बताया था। मृत्यु पूर्व चोटों वाली बात नहीं बताई थी। मैंने पंचायतनामा का अवलोकन किया मृतका रेनू के कोई शरीर पर बाहरी चोट का विवरण अंकित नहीं है।

34– **पी0 डब्लू010 सेवानिवृत्त डिप्टी एस0 पी0 कृष्ण कुमार** ने बयान दिया है कि दिनांक 2 दिसम्बर सन 15 को मेरी तैनाती घाटमपुर क्षेत्राधिकारी के पद पर थी। उसी दिन मुझे मु0 अ0 सं0 1572/2015 धारा 498–ए, 304–बी भा0 दं0 सं0 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 थाना घाटमपुर की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। श्यामू कुमार की निशादेही पर मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार किया जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मूल नक्शा नजरी संलग्न पत्रावली है। जिसपर प्रदर्श क–8 डाला गया। दिनांक 23.1.2016 को मेरे द्वारा केस डायरी का पर्चा सं06 किता किया गया जिसमें फोरेन्सिक विशेषज्ञ द्वारा डिजिटल

फोटोग्राफी प्राप्त हुई। नकल की गयी। दिनांक 29.3.2016 को मेरा स्थानान्तरण हो जाने के कारण आगे की विवेचना नये क्षेत्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

इस प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों तथा बयानों के आधार पर निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट हैं–

1– यहकि मृतका का विवाह वर्ष 2014 में जून माह में हुआ था।

2– यहकि मृतका की मृत्यु 23/24.9.2015 को हुई थी।

3– मृत्यु के समय मृतका अपने ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकी हुई पाई गयी थी।

4– मौके पर कोई भी ससुरालीजन उपस्थित नहीं था तथा वे लोग मौके से फरार हो गए थे।

5– मृतका की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गले पर फंदा (लिगेचर का निशान पाया गया)

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **बलजीत बनाम हरियाणा राज्य 2004 (3) एस0सी0सी0 122** में यह कहा गया है कि धारा 304–बी भा0दं0सं0 एवं धारा 113–बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा (Presemption) करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है।

1– किसी महिला की मृत्यु होना

2– असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होना।

3– विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु होना।

4– ऐसा साक्ष्य होना जिससे यह प्रमाणित हो सके कि मृत्यु के तुरंत पहले (Soon before her death she was subjected to cruelty or hareshment in connection with any demand for dowrey) मृतका को दहेज की मांग के संबंध में पीड़ित किया गया अथवा उसके साथ क्रूरता की गयी।

उपरोक्त परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में धारा 113–बी के अंतर्गत न्यायालय उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्तियों ने दहेज मृत्यु कारित की। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **पंचानन्द मंडल**

बनाम झारखंड राज्य 2013 (9) एस0सी0सी0 800 में भी यह कहा गया है कि उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों का होना दहेज हत्या हेतु आवश्यक है।

माननीय उच्चतम न्यायालय **राजेश भटनागर बनाम उत्तराखंड 2012 (7) एस0सी0सी0 91** में यह कहा गया है कि यदि दहेज मृत्यु (Dowrey Death) होना पाया जाता है तो पति तथा अन्य रिश्तेदार जिन्होंने मृत्यु कारित की है, उनके विरूद्व धारा 113–बी साक्ष्य अधिनियम उपधारित की जाएगी। यही दिशा–निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **संजय कुमार जैन बनाम स्टेट आफ दिल्ली 2011 (11) एस0सी0सी0 733** में भी दिए गए हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **कलिया पेरूमल बनाम तमिलनाडू 2004 (9) एस0सी0सी0 157** में मृत्यु के तुरंत पूर्व दहेज की मांग तथा प्रताड़ना का होना धारा 113–बी के अंतर्गत उपधारणा किए जाने हेतु आवश्यक बताया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **तामेश पंजियार बनाम बिहार राज्य 2005 (2) एस0सी0सी0 388** में भी इसी प्रकार फंदे से लटककर मृत्यु को दहेज हत्या तथा 113–बी साक्ष्य अधिनियम की परिधि में होना बताया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **अरूण गर्ग बनाम पंजाब राज्य 2004 (8) एस0सी0सी0 251 में एक ऐसे ही प्रकरण पर दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसमें टेलीफोन पर भाई को मृतका द्वारा सूचित किया गया था, जिसके उपरान्त उसकी मृत्यु हो गयी। यहां पर** भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे प्रकरण में दोषसिद्वि को उचित माना था। दहेज हत्या के संबंध में सभी आवश्यक कारक माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कश्मीर कौर बनाम पंजाब 2012 (13) एस0सी0सी0 627 में भी बताया गया है, जो इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर आकर्षित होता है। ऐसे ही प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा रंजीत सिंह बनाम पंजाब 2013 (12) एस0सी0सी0333 में फंदे से होने वाली मृत्यु के संबंध में पति को दोषी माना था और दोषसिद्वि पुष्ट की थी।

धारा 304 ख दहेज मृत्यु भा0दं0सं0 में इस प्रकार से वर्णित है कि जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी

नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा व्यक्ति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

धारा 113–ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम– जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उस व्यक्ति के द्वारा दहेज की किसी मांग के या उसके संबंध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा, कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है।

इस प्रकरण में अभियुक्तगणों के विरूद्व धारा 498–ए, 304–बी भा0 दं0 सं0 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था तथा आरोप विरचित किया गया था, सभी साक्षियों ने मृतका से दहेज के संबंध में मृत्यु के तुरंत पूर्व निर्दयतापूर्ण व्यवहार की बात अपने बयानों से सिद्व की है तथा अभियुक्तगण के विरूद्व साक्ष्य दिए हैं। इसके अलावा मृतका श्रीमती रेनू देवी की पोस्टमार्टम् रिपोर्ट प्रदर्श क–4 में चिकित्सक द्वारा मृतका की गर्दन पर रस्सी/फंदे का निशान पाया गया तथा पैरों (जांघ) पर कुछ चोटें अवलोकित की गयी। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा धारा 304–बी भा0 दं0 सं0 एवं 113–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा किए जाने हेतु इस प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य एवं आधार उपलब्ध हैं, इस उपधारणा को खण्डित करने हेतु अभियुक्त पक्ष की ओर से न तो 313 दं0 प्र0 सं0 के बयानों में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है तथा डी0 डब्लू01 पुष्पा देवी को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपने साक्ष्य में सतीश का उसके यहां किराये पर रहने का कथन किया है तथा दिनांक 23 सितम्बर 2015 को रेनू देवी की मां व बहनोई पंकज आए थे, इन लोगों से रेनू ने अपने जेवर मांगे थे, इसी बात को लेकर इन लोगो में काफी कहासुनी हुई थी जिसपर रेनू की मां रामश्री ने कहा था कि असल की हो तो मूंह न दिखाना इसके बाद चली गयी थी। दूसरे दिन सुबह जब सतीश शौच के लिए बाहर गया था तभी सतीश की पत्नी रेनू कमरे के दरवाजे की कुण्डी अंदर से बंदकर फांसी लगा ली। सतीश अपनी पत्नी को बड़े प्रेम से रखता था। जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि सतीश, रेनू को घुमाने, पिक्चर दिखाने इत्यादि ले जाते थे। इस प्रकार बचाव पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी डी0 डब्लू01 पुष्पा देवी का अपने साक्ष्य

की मुख्य परीक्षा में किया गया कथन कि सतीश अपनी पत्नी को बड़े प्रेम से रखता था, वहीं प्रतिपरीक्षा में किया गया यह कथन कि उसे नहीं मालूम की सतीश, रेनू को कहीं घुमाने, पिक्चर दिखाने इत्यादि ले जाते थे, से इस साक्षी की हितबद्वता सतीश के विरूद्व प्रकट होती है, विशेषकर उस दशा में जब कि इसी साक्षी ने अपने बयान में स्पष्ट कथन किया है कि मुझे आज न्यायालय सतीश बयान देने के लिए लाए हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय के मत में बचाव पक्ष द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे इस प्रकरण में 113–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा खण्डित हो सके।

विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपनी आपत्ति में यह कहा गया है कि साक्षियों की साक्ष्य विरोधाभाषी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मुकेश बनाम एन०सी०टी० दिल्ली ए०आई०आर० 2017 एस०सी० 2161 एवं रमेश हरिजन बनाम उ०प्र० 2012 (5) एस०सी०सी० 777** में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल बयानों में अर्न्तविरोध अथवा विरोधाभाष होने पर साक्षी के उपर उसका प्रभाव तब तक नहीं पड़ता है, जबतक सम्पूर्ण साक्ष्य मिथ्या साबित न हो। वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में पूर्व में हुए समझौते की बात से इंकार नहीं किया गया है और यह कहा गया है कि समझौते के काफी समय बाद यह घटना घटित हुई है। अतः दोषमुक्ति का आधार है। अतः बचाव पक्ष की ओर से पूर्व से भी घटना एवं समझौते से इंकार नहीं किया गया है न उसे पुष्ट किया गया है। इसी बात पर कि पूर्व में भी इस प्रकार की घटना घटित होना तथा समझौता पक्षों में हुआ था।

विद्वान ए०डी०जी०सी० के द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि बचाव पक्ष की ओर से अपनी बहस में यह कहा गया कि पिता और माता अलग निवास करते थे परन्तु साक्षियों के द्वारा उनके वर्तमान आवास पर आने–जाने की पुष्टि हुई है।

अपनी मौखिक बहस में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कहा गया कि अपनी मां रामश्री से जेवर के विवाद होने के कारण पीड़िता द्वारा स्वयं फांसी लगायी गयी है। इस संबंध मे डी०डब्लू० 1 साक्षी पुष्पा देवी के बयान से यह प्रकट होता है कि सतीश 2014 में कमरा किराए पर लेकर रहने आया था, उसकी पत्नी रेनू देवी रहती थी। 23 सितम्बर 2015 को रेनू की मां और बहनोई पंकज से जेवर के विवाद के संबंध में साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा कथन किया गया है परन्तु अन्य किसी के साक्ष्य से

डी०डब्लू० 1 के बयान पुष्ट नहीं होते हैं, अर्थात विश्वसनीय नहीं हैं। डी०डब्लू० 1 ने स्पष्ट रूप से अपने बयान में यह भी कहा है कि न्यायालय में आज यह बयान पहली बार दे रही हूं। मैंने पुलिस को यह बातें नहीं बताई थीं। जितना उन्होंने पूछा था, उतना ही बताया था न ही इस घटना के बाद यह बातें किसी अन्य पुलिस अधिकारी को बतायी थी। उक्त के क्रम में भी डी०डब्लू० 1 का बयान संदिग्ध प्रतीत होता है। चूंकि पूर्व के 161 दं०प्र०सं० के बयानों में ऐसा न कहने की बात उन्होंने स्वयं न्यायालय में आकर बतायी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यहां पर सबसे आवश्यक तथ्य यह है कि मृतका की पोस्टमार्टम आख्या के अनुसार उसके शरीर पर Ligature Mark के अतिरिक्त निम्नलिखित एण्टीमार्टम इंजरी का आना वर्णित है।

मृतका के गले में मृत्यू पूर्व की चोटों में लिगेचर मार्क 30 सेंमी0 X 2 सेंमी, गले के चारो ओर मौजूद थी और गले के पीछे दाहिने तरफ 6 सेंमी का गेट था। जो पांच सेंमी ठोड़ी के नीचे व 6 सेंमी बाये कान से नीचे व दाहिने कान के ठीक नीचे मौजूद थी। लिगेचर मार्क को काटने पर उसके नीचे सफेद चमकदार पर्त मौजूद थी।

2– क्न्टयूजन 4 सेंमी X 3 सेंमी दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से पर मौजूद था। जो कि 10 सेंमी दाहिने घुटने के उपर मौजूद था।

3– क्न्टयूजन 3 सेंमी X 2 सेंमी दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से में दाहिने घुटने से 15 सेंमी उपर मौजूद था।

4– कन्टयूजन 3 सेंमी X 2 सेंमी बाईं जांघ के सामने वाले हिस्से में बाये घुटने से 5 सेंमी उपर मौजूद था।

उपरोक्त चोटें जो कि मृत्यु के पूर्व आई हैं, उनके संबंध में धारा 313 दं०प्र०सं० के बयानों में अभियुक्तों के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है न ही डी०डब्लू० 1 के द्वारा अपने साक्ष्य में उपरोक्त चोटों के आने की कोई वजह बताई गयी है।

मृत्यु पूर्व आई हुई चोटों की संख्या तीन हैं। वे इस बात की दयोतक हैं कि उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व उसे शारीरिक चोट पहुंचाई गयीं। चोटें दाहिने और बांये दोनों जांघो पर आईं। डी०डब्लू० 1 एवं 313 दं०प्र०सं० कहीं भी इन चोटों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अतः यह परिलक्षित होता है कि चोटें अभियुक्तगणों द्वारा मृत्यु से पूर्व पहुंचाई गयी हैं। जिससे शारीरिक प्रताड़ना की बात पुष्ट होती है। एण्टीमार्टम

इंजरी से Soon Before Death यानी मृत्यु के तुरंत पूर्व शारीरिक प्रताड़ना की बात पुष्ट होती है। अतः धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उप–धारणा लिए जाने का पर्याप्त कारण है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगणों के विरूद्व आरोपित अपराधों के संबंध में दी गयी साक्ष्य एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए सभी बिन्दुओं के उपलब्ध होने के कारण 113–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अखण्डित उपधारणा होने के कारण सभी निर्धारण बिन्दु जो उपर विरचित किए गए थे, वो अभियुक्तगण के विरूद्व साबित पाए जाते हैं। धारा 113–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अखण्डित उपधारणा तथा अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्तगण दोषसिद्व किए जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण सतीश कुमार, जसवन्त व श्रीमती सीता देवी को अ0सं0 1572/2015 में भा0दं0सं0 की धारा 498–ए, 304–बी व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर के अंतर्गत अपराध के आरोपों दोषसिद्व किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके द्वारा दाखिल जमानतें निरस्त की जाती हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए तथा पत्रावली सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु दिनांक 1–7–2026 को पेश हो।

दिनांक– 29–06–2026

(**रजत सिन्हा**)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कानपुर देहात
आई0डी0–यू0पी0–6042

01–07–2026

दण्ड के प्रश्न पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अभियुक्तगण जसवन्त व श्रीमती सीता देवी काफी वृद्व हैं तथा उनकी उम्र क्रमशः लगभग 68–65 की होना कहा गया तथा अभियुक्त सतीश मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। इस आधार पर कम से कम दण्ड दिए जाने की याचना की गयी।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कहा गया कि अभियुक्तगण को धारा 304–बी भा0 दं0 सं0 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दोषसिद्व किया गया है, अतः अधिक से अधिक दण्ड दिया जाए जिससे समाज में संदेश जा सके। अतः गम्भीर दण्ड से दण्डित किए जाने की याचना की गयी।

अभियुक्तगण द्वारा कुछ भी कथन करने से इंकार किया गया।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सजा के प्रश्न पर सुना गया।

दहेज तथा उससे संबंधित अपराध दहेज हत्या एक सामाजिक अभिशाप है। ऐसी घटना के ज्यादा संख्या में होने के कारण ही विधायिका को इससे संबंधित अपराधों तथा प्राविधानों का गठन किए जाने की आवश्यक्ता महसूस हुई। मौजूदा प्रकरण में मृतका रेनू देवी की असामान्य परिस्थितियों में फांसी से लटककर अपने ससुराल के अंदर मृत्यु होने की घटना प्रकट होती है। मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व चार चोटें भी डाक्टर द्वारा अवलोकित की गयी हैं, घटना की गम्भीरता को बढ़ाता है। साक्ष्य के अनुसार उससे मृत्यु कारित करने के पूर्व भी मारपीट, दुर्व्यवहार, दहेज प्रताड़ना की जाती थी। ये सब बातें अपराध की गम्भीरता को बढ़ाती हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कहा गया कि सास एवं ससुर की आयु काफी अधिक है, परन्तु उनकी आयु के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **राजेश भटनागर बनाम उत्तराखंड राज्य 2012 (7) एस0सी0सी0 91** में ऐसे बर्बर अपराध के लिए धारा 304–बी भा0 दं0 सं0 मे उम्र कैद की सजा को न्यायोचित माना गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **कर्नाटक राज्य बनाम एम0वी0 मंजू 2003 (2) एस0सी0सी0 188** में विशेष रूप से यह कहा गया है कि दहेज प्रथा तथा दहेज मृत्यु एक सामाजिक अभिशाप है। ऐसे अपराधों में ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो समाज के लिए उदाहरण हो। (Detterent Punishment) पुनः **माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आशाबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 (2) एस0सी0सी0 224** में यह कहा गया है कि दहेज हत्या एक सामाजिक अपराध है तथा इसके लिए अधिकतम दण्ड दिया जाना चाहिए जिससे की समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत हो तथा जिससे ऐसी घटनाओं में कमी आ सके। घटना के तथ्य, परिस्थितियां तथा प्रकृति अभियुक्तगणों की परिस्थिति तथा उनकी आयु सभी तथ्यों पर सम्यक विचार किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मध्य प्रदेश बनाम सलीम 2005 (5) एस0सी0सी0 554 में यह कहा गया है कि महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों के दण्ड पर किसी भी प्रकार की कमी किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। **मध्य प्रदेश राज्य बनाम अजब खान 2013 (9) एस0सी0सी0 509** में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ऐसी बातें कही गयी हैं।

उपरोक्त की विवेचना से अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्तगण सतीश कुमार, जसवन्त व श्रीमती सीता देवी को अ0सं0 1572/2015 में भा0दं0सं0 की धारा 498–ए, 304–बी व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर के अंतर्गत अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 498–ए भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध में दो वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने की अवस्था में प्रत्येक को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, तथा प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 304–बी भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा धारा 4– दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध में प्रत्येक अभियुक्तगण को एक वर्ष के कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है

तथा अर्थदण्ड अदा न करने की अवस्था में प्रत्येक को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तगण द्वारा उक्त अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि दी गयी सजा में समायोजित की जाएगी तथा सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

अभियुक्तगण द्वारा यदि अर्थदण्ड की धनराशि जमा की जाती है तो उसमें से आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में मृतका की मां रामश्री को विधिनुसार देय होगी।

इस निर्णय की एक प्रति नियमानुसार अभियुक्तगण को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाए। सजायाबी वारंट तैयार हो।

दिनांक– 01–07–2026

(रजत सिन्हा)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कानपुर देहात
आई0 डी0–यू0 पी0–6042

उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनांक– 01–07–2026

(रजत सिन्हा)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कानपुर देहात
आई0 डी0–यू0 पी0–6042